



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26—अप्रैल 1, 2011 (चैत्र 5, 1933)

No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26—APRIL 1, 2011 (CHAITRA 5, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

यूको बैंक

कोलकाता-700001, दिनांक 10 मार्च 2011

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ यूको बैंक (शेयर और बँडक) विनियमावली, 2003 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव करता है यथा :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ--(1) इन विनियमों को यूको बैंक (शेयर और बँडक) संशोधन विनियमावली, 2008 कहा जाएगा (2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. विनियम 2 और 4 में संशोधन--यूको बैंक (शेयर और बँडक) विनियमावली, 2003 में,

(i) विनियम 2 में, खंड (पी) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, यथा --

“(पी) इसमें प्रयुक्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जिनकी परिभाषा इन विनियमों में नहीं की गई हो किन्तु जिनकी परिभाषा उक्त अधिनियम या योजना में की गई हो, या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2बी) के खंड (सी)के उपबंधों के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों में की गई हों, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उक्त अधिनियम या योजना या भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी किए गए या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों, इनमें से जो भी मामले हो, द्वारा उनको दिए गए हों।”

(ii) विनियम 4 के बाद, निम्नलिखित विनियम शामिल किया जाए, अर्थात् :-

“4 (ए) (1) बैंक सार्वजनिक निर्गम या अधिमान आबंटन या इक्विटी शेयरों या अधिमान शेयरों के निजी आबंटन के जरिए पूंजी जुट सकेगा।

(2) बैंक ऐसी पूंजी जुटने से संबंधित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार पूंजी जुटने हेतु एक प्रस्ताव निरूपित करेगा।

(3) सार्वजनिक निर्गम द्वारा या अधिमान आबंटन द्वारा या अधिमान शेयरों के निजी आबंटन द्वारा पूंजी जुटने के लिए ऐसे अधिमान शेयरों (स्थायी या अप्रतिदेय या प्रतिदेय) को प्रत्येक श्रेणी के अधीन जारी किए जाने वाले शेयरों की सीमा तथा उन शर्तों एवं नियमों जिनके अंतर्गत बैंक द्वारा ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयर जारी किए जाएंगे, का निर्धारण, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 2(ख) के खंड (ग) के उपबंधों में दिए गए प्रावधानों का अनुसरण करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

(4) बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक को राय पर विचार करेगा।

(5) तदनंतर, अंतिम प्रस्ताव को मंजूरी हेतु केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार, ऐसी शर्तों एवं नियमों, जिन्हें वह उचित समझे, के अधीन प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है।

(6) बैंक केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के अनुसार पूंजी जुट सकता है।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

अरुण कौल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

UCO BANK

Kolkata-700001, the 10th March 2011

IN exercise of powers conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of UCO Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Govt. propose to make the following amendments to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, namely :

1. **Short Title and commencement** – (i) These Regulations may be called the amendments to the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008 (2) they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Amendments of Regulations 2 and 4** – in the UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003,
 - (i) in Regulation 2, for clause (p) the following clause shall be substituted namely,

“(p) The words and expressions used herein and not defined in these Regulations but defined in the Act or Scheme, or guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India, and the guidelines framed by the Reserve Bank of in pursuant to the powers conferred on it under the proviso to clause (c) of the sub-section (2B) of section 3 of the Act shall have same meaning respectively assigned to them in the Act or the Scheme or the guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India or framed by the Reserve Bank, as the case may be.”
 - (ii) after Regulation 4, the following regulation shall be inserted, namely,

- 4(A) (1) The Bank may raise capital by public issue or preferential allotment or private placement of equity shares or preference shares.
- (2) The Bank shall formulate a proposal to raise capital in accordance with the guidelines, rules or regulations of the Securities and Exchange Board of India, relating to raising of such capital.
- (3) For raising capital by public issue or preferential allotment or private placement of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares (whether perpetual or irredeemable or redeemable) and the terms and conditions subject to which each class of such preference shares that may be issued by the Bank shall be determined in accordance with the guidelines framed by Reserve Bank of India in pursuant to the provisions contained in the Proviso to Clause (c) of sub-section 2(B) of section 3 of the Act.
- (4) The Bank shall submit the proposal to the Reserve Bank and take into account the views of the Reserve Bank before finalizing the proposal.
- (5) The final proposal shall thereafter be submitted to the Central Govt. for its sanction and the Central Govt. may grant sanction subject to such terms and conditions as it may deem fit.
- (6) The Bank shall raise capital in accordance with the sanction of the Central Govt."

By Order of the Board of Directors

ARUN KAUL
Chairman & Managing Director